जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

प्रबन्धक
स्टार्लिंग जू0हा0स्कूल, मीरगंज, जौनपुर।

क मान्यता/ 3462-68 /2013–14 दिनांक 29.6.13

य :–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/ महोदया,

जांच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के अनुक्रम में उ0प्र0 शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग–6 के आदेश सं0 418/79–6–2013–18एस0(7)/79 दिनांक 08.05.2013 एवं आदेश सं0 419/79–6–2013–18एस0(7)/79 दिनांक 08.05.2013 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 29.06.2013 के अनुक्रम में आपके तारीख.......—.......के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश स्टार्लिंग जू0हा0स्कूल, मीरगंज, जौनपुर को 01.07.2013 से 30.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 06 से कक्षा 08 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करनें की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जानें के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करनें के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम 2009 (उपाबंध1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010(उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के.............प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जानें तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करनें के लिए विद्यालय एक पृथक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

   (I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसके विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

   (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

   (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करनें की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

   (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करनें वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिककथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

   (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

   (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

   (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपनें कर्तव्यों का पालन करता है और

   (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है–

   विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।

   कुल निर्मित क्षेत्र।

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल।

कक्षाओं की संख्या।

प्राध्यापक–सह कार्यालय, सह भांडागार के लिए कक्ष।

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय।

पेयजल सुविधा।

मिड डे मील पकानें के लिए रसोई।

बाधारहित पहुँच।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से न तो कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं और न ही अन्य शाखायें चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक × है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के दिए अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करनें या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करनें के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. मान्यता प्राप्त करनें हेतु प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात/अभिलेख किसी भी स्तर पर कूट रचित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जानें पर नियमानुसार मान्यता प्रत्यावर्तित करनें की कार्यवाही की जायेगी।
19. विद्यालय संचालन में आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपनें निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा।

भवदीय

(राम प्रवेश)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

पृ0सं0 मान्यता/ /2013–14 दिनांक उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

2 मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।

3 खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विकास क्षेत्र जौनपुर/नगर शिक्षा अधिकारी, जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर लें और पूर्णरूपेण संतुष्ट हो लें कि विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने के प्रमाण पत्र के निर्गत होने की पुष्टि कर लें, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र क्रियाशील है तथा शासनादेश दिनांक 08.05.2013 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा की स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

4 जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर।

5 अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जौनपुर।

6 पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जौनपुर।

7 कार्यालय गार्ड फाइर्ल।

(राम प्रवेश)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।